

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- 446 / FP/UK/DISP/114282/2020 दिनांक: देहरादून 13 अगस्त, 2021
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-नैनीताल में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी का विस्तारीकरण करते हुए 'राम कैंसर संस्थान' तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की स्थापना किये जाने हेतु 4.25 है० वन भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 26-02-2021 महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 26-02-2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 161/12-1 दिनांक 23.07.2021 के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	For Point No. 1,2,4,8- In reply it is said that it is a fresh proposal and no violation taken place but in part II-violation detail is felled as 'YES' which is contradictory. Kindly clarify.	As per DFO there is no violation in this case since it's a fresh proposal for new construction which is corrected by Division in online portal.
2	For Point No. 3- Kindly upload the correct SIR at relevant place in part II, which is not found uploaded.	उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराया गया है कि प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण किया गया है।
3	For Point No. 7- Kindly upload the tree enumeration list and CA scheme authenticated by DFO as additional information individually by name in remark column.	उक्त बिन्दु के क्रम में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध अभिलेख ऑनलाईन अपलोड किये गये हैं तथा प्रभाग स्तर से आपत्ति का ऑनलाईन निराकरण किया गया है।
4	For Point No. 9- Kindly upload the certificate regarding the muck disposal, along with the quantitative estimation of the amount of muck generated and where it will be used.	Clarification regarding same is uploaded as additional information in part-I.
5	For Point No. 10- Kindly submit the copy of all the alternate lay out plan along with no. and list of trees affected in each plan.	As per User Agency the required layout map/concept plan of proposed land has been uploaded earlier. There is no alternative layout and the list of affected trees has been provided in from-15 of the proposal.

अतः प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/DISP/114282/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्रांक 161/12-1 दिनांक 23.07.2021 के क्रम में।
- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।

(डॉ० कपिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।